87

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 1943-एक/2012 - विरूद्ध आदेश दिनांक 8-6-2012 - पारित द्वारा - तहसीलदार तहसील सेमरिया जिला चुरहट जिला सीधी - प्रकरण कमांक 6 अ-12/2011-12

हृदयलाल सिंह बल्द रंगदेव सिंह
ग्राम कमर्जी टोला भगेसर तहसील
चुरहट जिला सीधी मध्य प्रदेश । ----आवेदक

विरूद्व

1- सरपंच,ग्राम पंचायत क्षेत्र कमर्जी
विकासखंड चुरहट जिला सीधी
2- म0प्र0शासन ----अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री जय राम सिंह)
(अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 7-08-2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार तहसील चुरहट के प्र0क0 6 अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 8-6-2012 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्र-1 ने म0प्र0शासन रास्ता मद की ग्राम कमर्जी स्थित भूमि सर्वे कमांक 1654 के सीमांकन की मांग की, जिस पर तहसीलदार चुरहट ने प्र0क0 6 अ-12/2011-12 पॅजीबद्ध किया तथा पटवारी हलका नंबर 34 से सीमांकन कराया । समस्त सरहदी कास्तकारों को दिनांक 15-5-12 को सीमांकन

किये जाने की सूचना जारी की गई। दिनॉक 15-5-2012 को सीमांकन कर प्रतिवेदन दिनांक 15-5-12 प्रस्तुत किया गया। आवेदक ने सीमांकन पर तहसीलदार चुरहट के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की। तहसीलदार चुरहट ने आपत्तिकर्ता को सुनकर आदेश दिनांक 8-6-2012 पारित किया तथा सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। तहसीलदार चुरहट के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि हलका पटवारी ने निगरानीकर्ता के मेढ़िया कास्तकार होते हुये भी सूचना नहीं दी तथा त्रृटिपूर्ण नक्शे के आधार पर सीमांकन किया गया है। ग्राम कमर्जी भगेसर टोला का पुराना आराजी नंबर 1187 रकबा 0.267 हैक्टर है । राजस्व सर्वेक्षण के दौरान सन 1996-97 में सर्वे नंबर 1187 से सर्वे नंबर 1656 एंव 1187 बनाये गये एंव भूमि खसरा नंबर 1191 एंव 1192 से नये नंबर 1661 एंव 1197 बनाये गये है, जिसका नक्शा गलत कर दिया गया और गलत नक्शे के आधार पर सीमांकन किया गया है । गलत सीमांकन करके आवेदक की भूमि जानबूझकर प्रभावित की गई है, इसलिये तहसीलदार का सीमांकन आदेश गलत है। तहसीलदार के समक्ष निगरानीकर्ता ने आपत्ति भी की थी, परन्तु तहसीलदार ने आपत्ति का निराकरण किये बिना सीमांकन को गलत ढंग से अंतिमता प्रदान की हे इसलिये तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाय।

5/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि हलका पटवारी ने समस्त मेढ़िया कास्तकारों को सूचना जारी की है जिसके सरल क्रमांक 1 पर निगरानीकर्ता का नाम है एंव सूचना की कार्यालयीन प्रतिवेदन उसके हस्ताक्षर भी हैं। सूचना पत्र तहसीलदार के प्रकरण में पृष्ठ 9 पर संलग्न है । जहॉ तक गलत नक्शे के आधार पर सीमांकन करने

की आपत्ति का प्रश्न है आवेदक ने निगरानी मेमो में अंकित किया है कि बंदोवस्त सन 1996-97 में हुआ है जिसमें गलत नक्शा बनाया गया है। आवेदक को आभाष था कि बंदोवस्त के दौरान वर्ष 1996-97 में नक्शा बनाते समय त्रृटि हुई है, वर्ष 1996-97 से आवेदक ने सक्षम न्यायालय में नक्शा दुरूस्ती की कार्यवाही क्यों नहीं कराई ? आवेदक के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके। पटवारी हलका नंबर 34 एंव पटवारी हलका नंबर 36 ने विचाराधीन सीमांकन किया है। स्थल पर तैयार पंचनामा की भाषा इस प्रकार है :-

" ग्राम पंचायत क्षेत्र कमर्जी के आवेदन पत्र पर ग्राम कमर्जी की आराजी नंबर 1654/0. 07 किता 1 रास्ता म0प्र0शासन का सीमांकन आवेदक, सरहदी कास्तकारों एंव अन्य ग्रामीण जनों की उपस्थिति में चालू खसरा, नक्शा एंव अन्य पैमाइसी उपकरणों की सहायता से किया गया। सीमांकित आराजी नं. के सभी कोनों एंव महत्वपूर्ण स्थानों पर साधारण पत्थर गढ़वाये गये। "

स्पष्ट है कि वाद विचारित भूमि के किये गये सीमांकन में दोष नहीं है। सार्वजनिक रास्ते की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित होने का प्रश्न है? आवेदक पटवारी से वरिष्ठ राजस्व निरीक्षक अथवा अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं् की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है, जिसके कारण तहसीलदार तहसील चुरहट के प्र0क्र0 6 अ-12/ 2011-12 में पारित आदेश दि0 8-6-2012 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार चुरहट व्दारा प्र0क्र0 6 अ-12/ 11-12 में पारित आदेश दिनांक 8-6-2012 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर